

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 39 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोडेंटगण

बादरा पुत्र फगलु जाति विश्नोई निवासी आलेटी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. हरजी फौत के कायम मुकाम 1/1उदा पुत्र हरजी 1/2शांति बेवा ठाकरा 1/3पाबु पुत्र ठाकरा 1/4रूपा पुत्र ठाकरा पाबु व रूपा नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता श्रीमती शांतिदेवी 1/5गुणेशा पुत्र हरजी 2. तेजा पुत्र मोती 3. सदराम पुत्र हीराराम 4. सोनाराम पुत्र हीराराम 5. वाली बेवा पुनमा 6. गोस्धन पुत्र फगलु जाति विश्नोई निवासी आलेटी तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 7. तहसीलदार गुड़ामालानी
---	--

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2015 बअनवान वाली वगै. बनाम हरजी वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.07.2015 के विरुद्ध पेश हुई।


उपस्थिति

1. वकील श्री महेन्द्रकुमार रामावत अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांक:- 22.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 91, 40, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के पैतृक खातेदारी के खेत मौजा आलेटी व नया राजस्व गांव सियालों की बेरी में क्रमशः खसरा नम्बर 112,

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

70, 72, 78, 92, 1, 49, 61, 60 क्रमश रकबा 48.15 बीघा, 41.19 बीघा, 15 बिस्वा, 12.14 बीघा, 18.18 बीघा तथा 76.18 बीघा, 59.03 बीघा, 145.10 बीघा, 01 बीघा कुल रकबा 423.13 बीघा भूमि आई है, जिसका पर्चा लगान वादीगण के दादा, ससुर के नाम जारी हुआ है। वादीगण के दादा ससुर व दादा फौत होने पर वादग्रस्त खेतों का नामानतरकरण उनके जाईन्दा पुत्रों के नाम जारी हुआ, जबकि उनकी फौतगी के समय प्रतिवादी संख्या 05 फगलू के साथ वादीगण का नाम अंकित करना था, इसलिये वादीगण, प्रतिवादी संख्या 05 फगलू के 1/4 हिस्सा में 105.18 बीघा में 2/16 हिस्सा से रकबा 52.19 बीघा भूमि घोषित करवाने के अधिकारी है इस आशय का हस्तगत दावा पेश किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2015 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवार व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने उतरदाता के साथ मिलीभगत करते हुए मौके पर पक्षकारान के मध्य हुए बाहामी वंटवाडे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये दिना व अपीलांट से आपति लिये विना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धौरीमन्ना को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश

*Jain*  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
बायमेर

किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोंडेंटस अपीलाधीन आराजी का सदभावी क्रेता खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

DNJ 2021(1) Page 421

RRD 2020 Page 187

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि उपरोक्त अंतिम निर्णय की जानकारी अपीलकर्ता को दिनांक 20.03.2016

*Jain*  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

को होने पर उसको द्वारा दिनांक 21.03.2016 को नकल मांगी गई तब उसको अंतिम निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई जिस कारण यह अपील जानकारी के अनुसार अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रैरपोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक-एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। रैरपोडेंट्स अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRD 2012 Page 276

RRT 2011(2) Page 851

DNJ 2020(3) Page 697


उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार-बार आपत्ति जताई। हस्तगत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार धौरीमन्ना स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 10.07.2015 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटगण येन-केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By


*Jain*  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर

metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार धौरीगन्ना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांत की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीगन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2015 बअनवान वाली वगै. बनाम हरजी वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.07.2015 को यथावत रखा जाता है।

  
(प्रतिष्ठा मिश्रा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
वाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
वाड़मेर